न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ साधना शर्मा आर0ए0एस0
प्रकरण संख्या– 32/2018
जी0सी0एम0एस0 संख्या 2018/00154

1. राहुल उम्र 12 साल | पिसरान बल्लो उर्फ बलवीर जाति छीपी नाबालिग सरपरस्ती
2. राजेश उम्र 10 वष | खुद दाऊजी पुत्र तेजसिंह जाति छीपी निवासी खेड़ा
3. विट्टू उम्र 8 वर्ष | तहसील व जिला धौलपुर राज0
4. कृष्णा उम्र 6 वर्ष |
5. रंजना उम्र 15 वर्ष |
6. दाऊजी पुत्र तेजसिंह जाति छीपी निवासी खेड़ा तहसील व जिला धौलपुर

.........................वादीगण

बनाम

1. बल्लो उर्फ बलवीर | पिसरान तेजसिंह जाति छीपी निवासी खेड़ा तहसील व जिला
2. मोहनसिंह | धौलपुर
3. पप्पू |
4. रामबेटी पुत्री तेजसिंह पत्नी सुरेश जाति छीपी निवासी
5. विद्या पुत्री तेजसिंह पत्नी ओमप्रकाश जाति छीपी निवासी खेड़ा तहसील व जिला धौलपुर हाल आबाद दूरा तहसील किरावली जिला आगरा (मृतक)
   5/1 ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल | जाति छीपी निवासी दूरा तहसील किरावली
   5/2 संतोष पुत्र ओमप्रकाश | जिला आगरा उ0प्र0
   5/3 सोमू पुत्री ओमप्रकाश |
   5/4 रेखा कुमारी पुत्री ओमप्रकाश पत्नी मुकेश जाति छीपी निवासी मकान नम्बर 15/145 अक्का वाली गली नूरी दरवाजा आगरा तहसील सदर आगरा
   5/5 तारा पुत्री ओमप्रकाश पत्नी पवनकुमार जाति छीपी निवासी बासिंग दरवाजा भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर
   5/6 भारती पुत्री ओमप्रकाश पत्नी सोनू जाति छीपी निवासी मकान नम्बर 26/321 अली वाले के बगल मकान गोकुलपुरा आगरा तहसील सदर जिला आगरा
   5/7 प्रेमलता पुत्री ओमप्रकाश पत्नी अशोक जाति छीपी निवासी नगला छीपी पोस्ट समोगर तहसील बयाना जिला भरतपुर
   5/8 लक्ष्मी पुत्री ओमप्रकाश पत्नी भगवानसिंह जाति छीपी निवासी खद्दर कूआं करौली रोड़ किरण पैलेस के पीछे हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन जिला करौली राज.।
6. मनोज पुत्र शिवराम जाति कुशवाह निवासी भिलगवां तहसील व जिला धौलपुर
7. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार धौलपुर ....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत 88, 188 आरटीएक्ट

उपस्थिति – 1. श्री सुरेश कटारा एडवोकेट––वादीगण की ओर से

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

निर्णय दिनांक 25.08.2025

वादीगण ने दावा इस आशय का पेश किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 220 रकवा 19 विस्वा, 231/1 रकवा 16 विस्वा, 235 रकवा 15 विस्वा, 695/234 रकवा 1 बीघा 4 विस्वा, 213 रकवा 6 विस्वा, 217 रकवा 1 बीघा 5 विस्वा, स्थित ग्राम भिलगवां तहसील व जिला धौलपुर में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पत्ति है जो सहदायिक है। विवादित आराजी पुश्तैनी संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति होने के कारण वादीगण को जन्म से खातेदार अधिकार प्राप्त हो गये थे। संयुक्त रूप से काश्तकार रहे व काश्त कर रहे है। संयुक्त आराज में वादीगण 1 लगायत 5 का प्रत्येक का 1/36 भाग के खातेदार काश्तकार है। तेजसिंह पुत्र पूरना जाति छीपी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार था तेजसिंह पुत्र पूरना की मृत्यु दिनांक 20.10.2009 को हो गई, उसकी मृत्यु के पश्चात् विवादित आराजी को हड़पने के लिए प्रतिवादीगण ने सरपंच ग्राम पंचायत बसई सामन्ता से साजिश करके तेजसिंह की मृत्यु के बाद नामांतकरण 481 ग्राम भिलगवां दिनांक 05.07.2013 को गलत शिजरा से स्वीकार करा लिया। वादीगण के नाम शिजरा में नहीं दर्शाये गये। नामांतकरण के अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करा लिया। वादी संख्या 1 लगायत 5 नाबालिग है मॉ इन्द्रा का देहांत दावा दायरी से 3 वर्ष पूर्व हो चुका था। प्रतिवादी संख्या 1 बल्लो उर्फ बलवीर शराबी व जुआरी हो गया है, बच्चो का लालन-पालन वादी संख्या 6 चाचा दाऊजी कर रहा है, वह भी अपाहिज है। वर्तमान में वादी संख्या 1 लगायत 5 वादी संख्या 6 के संरक्षण में रह रहे है। वादी संख्या 1 लगायत 5 के हित वादी संख्या 6 के विपरीत नहीं है अतः वादीगण के हितों की रक्षा हेतु वाद वादी संख्या 6 की संरक्षता में पेश किया है। गलत इन्द्राज का लाभ उठाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 213 रकवा 6 विस्वा 217 रकवा 1 बीघा 5 विस्वा बाकै ग्राम भिलगवां की रिलीज डीड दिनांक 08.07.2013 को प्रतिवादी संख्या 1 बल्लो उर्फ बलवीर से प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हक में करा लिया जबकि प्रतिवादी संख्या का 1/6 भाग का रिलीज डीड करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। क्योंकि अपने हिस्से से अधिक रिलीज डीड अवैध व शून्य है। तथा प्रतिवादी संख्या 2 को अवैध व शून्य रिलीज डीड से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। नामांतकरण संख्या 485 ग्राम भिलगवां अवैध व शून्य है। प्रतिवादी संख्या 1 ने गलत इन्द्राज का लाभ उठाकर दिनांक 20.04.2018 को आराजी खसरा नम्बर 220 करवा 19 विस्वा बाकै ग्राम भिलगवां मे से 1/6 भाग का वयनामा प्रतिवादी संख्या 6 मनोज के हक में कर दिया। अपने हिस्से से अधिक वयनामा अवैध व शून्य है। वादीगण संख्या 1/5 प्रत्येक 1/36 भाग वादी संख्या 6 1/6 भाग के खातेदार काश्तकार है। दिनांक 21.04.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 ने बताया कि मैंने खेत बेच दिया है बाकी के खेतों को भी विक्रय करूंगा। तब वादीगण को उक्त विक्रय एवं रिलीज डीड की जानकारी हुई । इसलिए दावा वादीगण डिक्री किये जाने एवं वादी संख्या 1 लगायत 5 को 1/36-1/36 भाग एवं वादी संख्या 6 को 1/6 भाग का खातेदार घोषित किये जाने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4, 5/1 लगायत 5/8 के वारिसान बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी। प्रतिवादी सख्या 1 व 6 की ओर से अभिभाषक उपस्थित आये लेकिन दिनांक 08.10.2024 को जबाबदावा प्रस्तुत ना करने व न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी सम्वत् 2067–70 प्रदर्श–1, जमाबंदी सम्वत् 2071–74 प्रदर्श–2 नामांतकरण संख्या 479 प्रदर्श–3, नामांतकरण संख्या 481 प्रदर्श–4, नामांतकरण संख्या 485 प्रदर्श–5, जमाबंदी सम्वत् 2071–74 प्रदर्श–6, जमाबंदी सम्वत् 2071–74 प्रदर्श–7, नकल वयनामा प्रदर्श–8, मौखिक साक्ष्य में पी0डब्ल्यू0 1 दाऊजी के बयान कराये।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण का कथन है कि विवादित आराजी के वादी संख्या 1 लगायत 5 1/36–1/36 भाग व वादी संख्या 6 1/6 के खातेदार काश्तकार है विवादित आराजी पुश्तैनी सहदायिक खातेदारी की आराजी है प्रतिवादी संख्या 1 वादी संख्या 1 लगायत 5 का पिता है। जो कि गलत शोहबत में पढ़कर शराबी एवं जुआरी हो गया है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी संख्या 1 लगायत 5 की जानकारी छुपाते हुए सरपंच के द्वारा गलत नामांतकरण संख्या 481 ग्राम पंचायत बसई सामन्ता तहसील व जिला धौलपुर खुलवा लिया और उक्त गलत नामांतकरण के आधार पर राजस्व इन्द्राज करा लिया। वादी संख्या 1 लगायत 5 नाबालिग है तथा उनकी माँ का भी निधन हो चुका है, चाचा वादी संख्या 6 जो कि खुद अपाहिज है इनका लालन–पालन कर रहा है। इसलिए हाजा वाद में वादी संख्या 1 लगायत 5 का वाद संरक्षक है। वादीगण विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है, वादी संख्या 1 को केवल अपने हिस्से 1/36 भाग तक ही विक्रय एवं रिलीज डीड करने का अधिकार था, ना कि गलत इन्द्राज के आधार पर 1/6 भाग का। इसलिए दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री करने एवं वादी संख्या 1 लगायत 5 को 1/36–1/36 भाग तथा वादी संख्या 6 को 1/6 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन एवं प्रस्तुत साक्ष्य पर मनन किया गया। पत्रावली के दस्तावेजातों का अवलोकन किया गया। तेजसिंह का निधन दिनांक 20.10.2009 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद हुआ है। विवादित आराजी के पूर्व खातेदार काश्तकार तेजसिंह पुत्र पूरना जाति छीपी था। इसलिए विवादित आराजी सहदायिक पुश्तैनी आराजी है। तेजसिंह का जो नामांतकरण खुला उसमें वादी संख्या 1 लगायत 5 को नहीं बताया गया, जबकि वादी संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक 1/36–1/36 भाग के खातेदार काश्तकार होते है। उक्त गलत इन्द्राजों के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किये गये वयनामा एवं रिलीज डीड वादी संख्या 1 लगायत 5 के हिस्से तक स्वतः ही शून्य माने जावेंगे। इसलिए वादी संख्या 1 लगायत 5 विवादित आराजी में प्रत्येक अपने आपको 1/36 भाग के खातेदार काश्तकार

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

घोषित कराने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के हकदार होते है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम दावा वादीगण स्वीकार किया जाने योग्य पाते है।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। वादी संख्या 1 लगायत 5 को विवादित आराजी खसरा नम्बर 220 रकवा 19 विस्वा, 231/1 रकवा 16 विस्वा, 235 रकवा 15 विस्वा, 695/234 रकवा 1 बीघा 4 विस्वा, 213 रकवा 6 विस्वा, 217 रकवा 1 बीघा 5 विस्वा, स्थित ग्राम भिलगवां तहसील व जिला धौलपुर का 1/36–1/36 भाग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती की जाकर वादी संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक 1/36–1/36 भाग तथा वादी संख्या 6, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक को 1/6–1/6 भाग के इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण 1 लगा0 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण के कब्जे काश्त में कोई मजाहमत मदाखलत वेजा नहीं करे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 25.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मु0
धौलपुर

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)